भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *81

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय खंडपीठ

***81. श्री थोमस चाज़िकाडन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायलय की क्षेत्रीय खंडपीठों के उपलब्ध न होने के कारण वादियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को देश में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय खंडपीठों की स्थापना हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास केरल में किसी क्षेत्रीय खंडपीठ की स्थापना करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 *81, जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है, जो "उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय खंड पीठ" से संबंधित है, के भाग (क) से (ड.) के संबंध में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) से (ड.) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130, उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे ।

ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत की "उच्चतम न्यायालय-एक नया दृष्टिकोण" नामक अपनी 125वीं रिपोर्ट में, दसवें विधि आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजन करने अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्रीय भारत में अपील न्यायालय या पीठासीन फेडरल न्यायालय, के लिए अपनी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर पुनर्बल दिया । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि दिल्ली में संवैधानिक न्यायपीठ स्थापित करने और उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चैन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुम्बई में, चार अपील न्यायपीठ स्थापित की जाएं ।

यह विषय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था जिन्होंने सूचित किया है कि विषय पर विचार करने के पश्चात्, पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए कोई न्यायोचित आधार नहीं पाया है ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करने संबंधी रिट याचिका डब्ल्यू पी. (सी) 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने, अपने निर्णय तारीख 23/07/2016 द्वारा , यह समुचित समझा है कि प्राधिकृत उद्घोषणा करने के लिए पूर्व उल्लिखित मुद्दे को संवैधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया जाए । यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

****